बिहार में खाद्य सुरक्षा योजना की वर्तमान स्थिति : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विशेष संदर्भ में

रौशन कुमार

सार–संक्षेप–सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को वितरित करता है। 1997 में वस्तुओं, मुख्य भोजन में अनाज, गेहूँ, चावल, चीनी, और मिट्टी का तेल को उचित मूल्य की दुकानों (जिन्हें राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है) के एक नेटवर्क जो देश भरें कई राज्यों में स्थापित है के माध्यम से वितरित किया गया। भारत सरकार द्वारा बिहार में अन्त्योदय अन्न योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जो निर्धनतम परिवार है उन्हें रू0 2.00 प्रति किग्रा0 की दर से गेहूँ तथा रू. 3.00 प्रति किग्रा0 की दर से चावल प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना में लाभार्थी परिवार को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश के नौ प्रमण्डलों में गेहू एवं चावल के अनुपात में परिवर्तन करके 15 किग्रा0 गेहूँ तथा 20 किग्रा0 चावल वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्य सुरक्षा की नीति का महत्वपूर्ण घटक मानती है जिसमें गरीबी की रेखा के नीचे की आबादी के लिए खाद्यान्नों की न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अत्यन्त पारदर्शिता और सक्षमता के साथ लाभार्थियों के सर्वोत्तम लाभ के लिए क्रियान्वित करती हैं।